

भारत सरकार / GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क - जयपुर

OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR

मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर- 302005 (राज.)

HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

फोन नं. : 0141- 2385359

स्थापना शाखा

फैक्स नं. : 0141- 2385222

फा.सं.: II-03(02)स्था./जेपीआर/अधी./2019/

दिनांक : 03 .07.2019

स्थापना आदेश संख्या - 11/2019

दिनांक : 03 .07.2019

सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 09/2019 दिनांक 19.06.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधीक्षकों को उनके नाम के आगे दर्शाये स्थान अनुसार स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाता है :-

S.NO.	NAME OF THE OFFICER(SHRI/SMT/MS.)	FROM	TO
1.	SUDHIR KUMAR KHATRI	CGST & CX, DIV-J, AJMER	CGST & CX, DIV-B, JAIPUR
2.	RAJESH AGARWAL	RANGE-XXII, CGST & CX, DIV-E, JAIPUR	CGST & CX, DIV-E, JAIPUR (AT JAIPUR)

उक्त आदेश श्रीमान् प्रधान आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

Note :

- All representation/Requests received during/after AGT have been disposed off, after due consideration. Further representation will not be entertained before joining at new place of posting.
- The Dy./Assistant Commissioner should ensure proper Handing over/Taking over the charges. List of all urgent and time bound matters be prepared and handed over to the controlling officer and officers taking over the charge.
- While issuing order for specific charges the Tranfer Policy guidelines, 2018 and HoP of the officers should be kept in mind.
- The Dy./Assistant Commissioner are directed to take prior approval before issuing order of charge allocation from the supervisory Addl./Joint Commissioner.
- Since the transfer of officers mentioned at S.No. 1 & 2 have been made on their own request, they shall not be entitled for any TTA or Joining Time.

— ह० —

(बी. एल.मीना)

संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.)

फा.सं.: II-03(02)स्था./जेपीआर/अधी./2019/

दिनांक : 03 .07.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- निजी सचिव, प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर।
- अपर आयुक्त (सीसीओ), सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
- निजी सचिव, अपर आयुक्त(कर अप./तक.)/संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं उ. शु., जयपुर,।
- उप/सहायक आयुक्त, के.व. एवं सेवाकर एवं उ. शु., संभाग-B, E जयपुर एवं J अजमेर।
- प्रशासनिक अधिकारी/अधीक्षक, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, संभाग-B, E जयपुर एवं J अजमेर।
- महासचिव, अधीक्षक संघ, जयपुर।
- व्यक्तिगत प्रति/सेवापुस्तिका/गार्ड फाइल।
- विभागीय वेबसाइट www.centralexcisejaipur.nic.in पर अपलोड हेतु।

— ह० —
(बी. एल.मीना)

संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.)